प्राचार्य पदोन्नति पर सुनवाई सोमवार को

बिलासपुर। हाईकोर्ट में जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल के कोर्ट में प्राचार्य पदोन्नति पर सुनवाई अब सोमवार को होगी। पिछले चार दिनों तक चली सुनवाई में याचिकाकर्ता और शासन की ओर से अपना पक्ष रखा जा चुका है। शासन की ओर से कहा गया कि प्रधान पाठक मिडिल स्कूल के सेवा को 5 वर्ष के अनुभव हेतु पात्रता के लिए रखा है, प्रधान पाठक पद से व्याख्याता कोटे में सीनियरिटी देने का नियम नहीं है। डबल बैंच में यही डायरेक्शन है।